सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग, बिहार
प्रेस–विज्ञप्ति

संख्या– **13**
06/01/2026

किसानों के लंबित भुगतान को FIFO (First In First Out) व्यवस्था के तहत शीघ्र निष्पादित किया जाए

सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पटना दिनांक 06.01.2026:– आज दिनांक 06-01-2026 को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव श्री अभय कुमार सिंह की अध्यक्षता में बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (BSFC) के मुख्यालय स्थित सत्यागंधा सभागार में निगम की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य राज्य में खाद्य आपूर्ति व्यवस्था, अधिप्राप्ति, भंडारण, परिवहन तथा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी संचालन की प्रगति की समीक्षा करना था।

बैठक के दौरान सचिव महोदय ने निगम के सभी सेक्शनों की कार्यप्रणाली की विस्तृत जानकारी ली। विशेष रूप से राज्य में चल रही धान अधिप्राप्ति तथा जिलावार किसानों के निबंधन की स्थिति की समीक्षा की गई। सचिव महोदय ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जिन किसानों का भुगतान लंबित है, उनका भुगतान FIFO (First In First Out) व्यवस्था के तहत शीघ्र सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

मिलों के निबंधन एवं FRK (फोर्टिफाइड राइस कर्नेल) से जुड़े विषयों पर भी गहन चर्चा हुई। सचिव ने निर्देश दिया कि 10 जनवरी 2026 तक मिलों से

प्राप्त FRK सैंपलों की जांच अनिवार्य रूप से पूरी कर ली जाए, जिससे गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित हो सके।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) से संबंधित योजनाओं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY), प्रधानमंत्री पोषण योजना (PM POSHAN), गेहूं आधारित पोषण योजना(WBNP), किशोरियों के लिए योजना (SAG) तथा कल्याणकारी संस्था एवं छात्रावास योजना(WIHS) की स्थिति की समीक्षा करते हुए सचिव ने कहा कि इन योजनाओं के सफल संचालन में BSFC की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसे और अधिक सुदृढ़ किया जाना चाहिए। उन्होंने FCI से खाद्यान्न के उठाव से लेकर डिस्पैच तक की सभी गतिविधियों की नियमित मॉनीटरिंग पर विशेष जोर दिया ताकि खाद्यान्न ससमय लाभुकों तक पहुँचाया जा सके।

खाद्यान्न परिवहन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए सचिव ने जिलावार आंकड़ों का अवलोकन किया। जिन जिलों में परिवहन से संबंधित समस्याएं सामने आई, वहां तत्काल निष्पादन के निर्देश दिए गए। मुख्य ट्रांसपोर्टर एवं डोर स्टेप डिलीवरी में प्रयुक्त वाहनों की संख्या जहां आनुपातिक रूप से पर्याप्त पाई गई, वहीं जहां कमी थी, वहां नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई करते हुए शीघ्र पूर्ति करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव मो. नैय्यर इकबाल, विशेष सचिव श्री उपेंद्र कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी सुश्री सृष्टि प्रिया एवं श्री विनोद कुमार तिवारी सहित श्री शैलेन्द्र कुमार, मुख्य महाप्रबंधक (जन वितरण), मो० जियाउर रहमान, मुख्य महाप्रबंधक (तकनीकी), श्री राज मोहन झा, महाप्रबंधक (आधुनिकीकरण), श्री शैलेन्द्र कुमार, महाप्रबंधक (सामान्य

प्रशासन / वित्त एवं आंतरिक वित्तीय सलाहकार), श्री राकेश रमण, महाप्रबंधक (भंडारणध्जन वितरण प्रणाली), श्री रमेन्द्र कुमार, महाप्रबंधक (अधिप्राप्ति / मुख्य सतर्कता पदाधिकारी), श्री ऋषिकेश भूषण न्यायामूर्ति, महाप्रबंधक (तकनीकी), श्री सुमन कुमार, उपमहाप्रबंधक (क्रय एवं विधि / प्रशासन), मो० फरीद अहमद, उपमहाप्रबंधक (अधिप्राप्ति), श्री शाह नवाज आलम, उपमहाप्रबंधक (आधुनिकीकरण), सुश्री नाजली हसनैन, उपमहाप्रबंधक (लेखा एवं बजट), श्री शिशिर कुमार वर्मा, उपमहाप्रबंधक (अनुश्रवण एवं मुल्यांकन), श्री आशीष कुमार, उपमहाप्रबंधक (जन वितरण/भंडारण / अधिप्राप्ति), श्री त्रिभुवन प्रसाद सिंह, उपमहाप्रबंधक (वित्त), श्री उदय शंकर अंकेला, उपमहाप्रबंधक (परिवहन), श्री नीरज कुमार शर्मा, उपमहाप्रबंधक (अंकेक्षण / सतर्कता पदाधिकारी/लोक सूचना पदाधिकारी/ जनसम्पर्क पदाधिकारी), श्री मुनय कुमार सिंह, उपमहाप्रबंधक (गुण नियंत्रक) सहित निगम के अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे।